डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Department of Divyangjan Empowerment
Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

वित्त अधिकारी
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

1. **कुलपति / अध्यक्ष**
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. **अपर मुख्य सचिव**
   दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
   उत्तर प्रदेश शासन।
3. **अपर मुख्य सचिव**
   वित्त विभाग
   उत्तर प्रदेश शासन।
4. **अपर मुख्य सचिव**
   उच्च शिक्षा विभाग
   उत्तर प्रदेश शासन।
5. **निदेशक**
   दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. **कुलसचिव**
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. **वित्त अधिकारी**
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 32 /पत्रा.सं.–57 / बै0वि0समिति / 2024–25 लखनऊ   दिनांक 11 फरवरी ,2025

विषयः डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की 32वीं बैठक दिनांक 11.02.2025 के कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की दिनांक 11.02.2025 को सम्पन्न 32 वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
11/2/'25
(श्रीनिवास त्रिपाठी)
वित्त अधिकारी

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के वित्त समिति की दिनाँकः 11.02.2025 को सम्पन्न हुई

<u>32वीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

<u>समय</u>– अपराह्नः 3:30 बजे
<u>स्थान</u>– पंचम तल स्थित सभागार डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विश्वविद्यालय के वित्त समिति की 32वीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/32	**दिनांक 04.09.2024 को सम्पन्न वित्त समिति की 31वीं बैठक' के कार्यवृत्त की पुष्टि।**
	निर्णयः– वित्त समिति द्वारा 31वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/32	**दिनांक 04.09.2024 को सम्पन्न वित्त समिति की '31वीं बैठक' में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः–वित्त समिति द्वारा दिनांक 04.09.2024 को सम्पन्न वित्त समिति की '31वीं बैठक' में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। तदोपरान्त कतिपय निर्णयों पर निम्नानुसार मत स्थिर किया गया–

क्रम सं0	दिनांक 04.09.2024 को सम्पन्न वित्त समिति की 'इकत्तीसवीं बैठक' में लिये गये निर्णय	दिनांक 11.02.2025 को सम्पन्न वित्त समिति की 32वीं बैठक' में 31वीं बैठक के निर्णयों के अवलोकनापरान्त स्थिर मत
2/31	वित्त समिति द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए बिन्दु सं0–5/29(3) पर प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में भेषज तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय में गैर–शैक्षिक पदों हेतु लैब में कार्यरत लैब असिस्टेण्ट (प्रयोगशाला सहायक)/अनुदेशक/डिमान्सट्रेटर को मानदेय धनराशि रू0 25000.00 दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। शेष बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भेषज तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय में गैर–शैक्षिक पदों हेतु लैब में कार्यरत लैब असिस्टेण्ट (प्रयोगशाला सहायक)/अनुदेशक/डिमान्सट्रेटर को मानदेय धनराशि रू0 25000.00/– का भुगतान दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी की जाय।
4/31	वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के तुलनपत्र एवं उसकी अंकेक्षण रिपोर्ट पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नवत् निर्देश प्रदान किये	वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया ऑडिट पैरा का निस्तारण की कार्यवाही विलम्बतम 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर ली जाय।

(Shriniwas Tripathi)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University

		गये:— (क) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज, उ0प्र0 द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2009—10 से 2019—20 तक के लिए किए गए लेखा—परीक्षण/अंकेक्षणोपरान्त प्रश्नगत आपत्तियों /ऑडिट पैरा का उत्तर विलम्बतम 15 अक्टूबर, 2024 तक अनिवार्य रूप प्रेषित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। (ख) उपर्युक्तानुसार विश्वविद्यालय में लेखा —परीक्षण/अंकेक्षण संबंधी ऑडिट पैरा के ससमय निस्तारण के संबंध में विश्वविद्यालय में "स्टैण्डिंग ऑडिट कमेटी" का गठन किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	
	6/31	वित्त समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में वाहन की आवश्यकता के दृष्टिगत 03 एम्बेसडर कार एवं 01 बोलेरो अर्थात कुल 04 वाहनों के निष्प्रयोज्य होने की स्थिति में उन वाहनों के प्रतिस्थापन में 01 आधुनिकतम माडल की इनोवा, 01 सियाज़ एवं 01 बोलेरो कुल 03 वाहन क्रय किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ वाहन संख्या—यूपी 32सीयू 7441 एम्बेस्डर कार की दिनांक 19.02.2020 को सम्पन्न नीलामी के पश्चात अधिकतम बोली रू0 28500.00 एवं वाहन संख्या—यूपी 32 सीयू 7442 एम्बेस्डर कार की दिनांक 19.02.2020 को सम्पन्न नीलामी के पश्चात अधिकतम बोली रू0 30500.00 को शासकीय प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया गया है। वाहन सं0—यूपी 32 सीयू 7443 एम्बेस्डर कार को अभियांत्रिकी एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान के विद्यार्थियों को रिसर्च कार्य हेतु उपलब्ध करा दी गयी है। बोलरो वाहन की नीलामी की प्रक्रिया जारी है। उक्त से अवगत होते हुए वित्त समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी कराने के उपरान्त ही नए वाहनों के कय की कार्यवाही की जाए।
	9/31	विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस हेतु ऑटोकट जेनरेटर एवं वाई—फाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी।	वित्त समिति द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि उक्त बिन्दु पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए 31 मार्च, 2025 तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।
	12/31	वित्त समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024—25 में विश्वविद्यालय के गृहकर भुगतान धनराशि रू0 85597317.00 (आठ करोड़ पचपन लाख सत्तानवे हजार तीन सौ सत्रह रूपये) पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।	वित्त समिति द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि विषयगत बिन्दु हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करते हुए शासन स्तर पर प्रभावी पैरवी करते हुए 31 मार्च, 2025 तक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3/32	**विश्वविद्यालय के रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट की गाइडलाइन के सम्बन्ध में।**
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2022 को निर्गत गाइडलाइन के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अनुसार शोध की गुणवत्ता का विस्तार, नवाचार को बढ़ावा देने, शैक्षणिक परिवेश में रिसर्च को बढ़ावा देने, तकनीकी विकास करने तथा शोध नवाचार एवं तकनीकी का एकीकरण करने एवं शोध के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में Research & Development Cell का गठन किया जा चुका है। तत्क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गुणवत्तापरक शोध हेतु रिसर्च प्रोजेक्ट/कन्सलटेन्सी गाइडलाइन्स 2024 पर मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन

(Shrinivas Tripathi)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University

प्रदान किया गया है। मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित गाइडलाइन के बिन्दु सं0– 8 FINANCE AND ACCOUNTS के अन्तर्गत बिन्दु सं0–8.8 PURCHASE PROCEDURE एवं बिन्दु सं0–9 TA AND DA RULES पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है। यदि बाद में कोई लघु संशोधन आवश्यक समझा जाता है, तो माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से इसे समाहित कर लिया जाएगा।

निर्णयः– उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा सम्प्रेक्षा "विषयगत एजेण्डा का कोई भी अंश अद्यतन निर्गत शासनादेशों के विरूद्ध नहीं होना चाहिए" सहित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

4/32 **सेमिनार/सिम्पोजियम/कान्फ्रेन्स की गाइडलाइन के सम्बन्ध में।**

बिन्दु संख्या–1 : वित्त समिति को अवगत कराया गया कि देश–विदेश के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशालाओं के आयोजन व उनमें भाग लिये जाने के निमित्त प्रस्तुत दिशा–निर्देशों के संबंध में **"Guidelines for Organizing/Attending National/International Conferences/Seminars/Symposium/Workshops"** पर एवं विद्यार्थियों तथा पूर्णकालिक पीएच0डी0 शोधार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पेपर प्रस्तुत करने के निमित्त प्रस्तुत दिशा–निर्देश के संबंध में **"Guideline for consideration of grants to full-time Ph-D-scholar for presentation of paper in National/International Conferences/Seminars/Symposia"** हेतु तैयार दिशा–निर्देश के बिन्दु क्रमांक **"6.2 Maximum Limit : The maximum amount of grant would be Rs. 25,000"** में धनराशि 25000/– के स्थान पर धनराशि रू0 20000/– निर्धारित करते हुए मा0 विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त गाइड–लाइन पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा0 विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्रदत्त निर्णय पर वित्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–2 : वित्त समिति को अवगत कराया गया कि देश–विदेश मे होने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को प्रतिभाग करने के लिये विश्वविद्यालय से वास्तविक व्यय (कुल खर्च) दिया जाना प्रस्तावित किया गया।

निर्णयः– उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव में "वास्तविक व्यय (कुल खर्च)" को "अनुमन्यता के सापेक्ष वास्तविक भारित व्यय" से प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया गया जिसे वित्त समिति द्वारा स्वीकार करते हुए देश–विदेश में होने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं /प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को प्रतिभाग करने के लिये विश्वविद्यालय से वास्तविक व्यय (अनुमन्यता के सापेक्ष वास्तविक भारित व्यय) दिए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

5/32 **ब्रेल उत्तर पुस्तिका के लिए ब्रेल वाचक को सूचीबद्ध करते हुए उनके पारिश्रमिक का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में समय–समय पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा ब्रेल लिपि के माध्यम से अपने उत्तर को प्रस्तुत किया जाता है। उक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ब्रेल लिपि में अंकित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु ब्रेल का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।

संज्ञानित कराना है कि शासनादेश सं0–176/सत्तर–1–2019–15(32)/81, दिनांक 09 मार्च, 2019 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 8वीं बैठक के निर्गत

(...nivas Tripathi)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University

	कार्यवृत्त दिनांक 29 जनवरी, 2021 के अनुसार परीक्षकों के पारिश्रमिक कार्यों की दरों का निर्धारण किया गया है, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के मूल्यांकन सम्बन्धित कार्यों के दरों का विवरण निम्नवत् :— उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 1. स्नातकोत्तर (प्रति पुस्तिका) ₹ 25.00 2. स्नातक (प्रति पुस्तिका) ₹ 20.00 प्रयोगात्मक 1. स्नातकोत्तर ₹ 25.00 प्रतिछात्र (न्यूनतम् ₹ 900.00) 2. स्नातक/बी0एड0 ₹ 16.00 प्रतिछात्र (न्यूनतम् ₹ 600.00) 3. पी0एच–डी0 शोध प्रबन्ध मूल्यांकन ₹ 1000.00 4. शोध मौखिकी पी0एच–डी0 ₹ 900.00 5. लघुशोध मूल्यांकन ₹ 80.00 प्रतिकापी (प्रतिछात्र) उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 1. परास्नातक (10 या 10 से कम उत्तर–पुस्तिकाओं हेतु) न्यूनतम रू0 250.00 2. स्नातक न्यूनतम रू0 200.00 चुनौती मूल्यांकन (10 या 10 से कम उत्तर–पुस्तिकाओं हेतु) न्यूनतम रू0 500.00 तद्क्रम में प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की ब्रेल लिपि में अंकित उत्तर पुस्तिकाओं के वाचन हेतु ब्रेल लिपि विशेषज्ञ को सूचीबद्ध/आमंत्रित किए जाने के साथ ही उपरोक्तानुसार पारिश्रमिक निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव मा0 विद्या–परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा0 विद्या–परिषद द्वारा अंतरिम व्यवस्था के रूप में ब्रेल वाचकों को स्नातक/परास्नातक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपरोक्तानुसार पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने तथा समिति की संस्तुतियों पर मा0 विद्या–परिषद की अगली बैठक में अनुमोदनोपरान्त एवं वित्त समिति एवं कार्यपरिषद के अनुमोदनोपरान्त पारिश्रमिक को संशोधित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उपरोक्त प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः**—वित्त समिति उपरोक्त तालिका के अनुसार सूचीबद्ध ब्रेल लिपि विशेषज्ञों को पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/32	**विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय के सम्बन्ध में।**
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पठन–पाठन हेतु समय समय पर विभाग के आवश्यकता के अनुसार अतिथि व्याख्याता को सूचीबद्ध/सम्बद्ध किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर चयन समिति गठन पर मा0 विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। साथ अतिथि व्याख्याता को वर्तमान में पारिश्रमिक के रूप में दिये जा रहे रू0 30,000 प्रति माह को बढ़ाकर रू0 45,000 प्रति किए जाने पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **निर्णयः**— वित्त समिति द्वारा अतिथि व्याख्याता के मानदेय में वृद्धि के संबंध में विद्या परिषद के निर्णय का अवलोकन किया गया जिसके क्रम में वित्त समिति द्वारा अपना मत स्थिर करते हुए विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय धनराशि रू0 40,000/– का निर्धारण विश्वविद्यालय के सीमित संसाधनों के सापेक्ष समुचित पाते हुए अनुमोदन प्रदान किया। वित्त समिति की अपेक्षानुसार रू0 40,000/– के निर्धारण का सम्यक् औचित्य अनुपालन में प्रस्तुत किया जाय।

(Shrinivas Tripathi)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University

7/32	**विश्वविद्यालय के साइन लैंग्वेज इण्टरप्रेटर के मानदेय के सम्बन्ध में।**
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् सामान्य विद्यार्थियों के साथ–साथ श्रवणबाधित विद्यार्थियों के पठन–पाठन हेतु समय समय पर विभाग की आवश्यकतानुसार श्रवणबाधित विद्यार्थियों हेतु साइन लैंग्वेज इण्टरप्रेटर को सूचीबद्ध/सम्बद्ध किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर चयन समिति का गठन पर मा0 विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही साइन लैंग्वेज इण्टरप्रेटर को वर्तमान में पारिश्रमिक के रूप में दिये जा रहे रू0 27,000 प्रति माह को बढ़ाकर रू0 40,000 प्रति माह किए जाने पर भी विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **निर्णयः–** वित्त समिति द्वारा साइन लैंग्वेज इण्टरप्रेटर के मानदेय में वृद्धि के संबंध में विगत विद्या परिषद के निर्णय का अवलोकन किया गया। वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के सीमित संसाधनों के सापेक्ष अपना मत स्थिर करते हुए विश्वविद्यालय के साइन लैंग्वेज इण्टरप्रेटर का मानदेय धनराशि रू0 35,000/– के निर्धारण पर अनुमोदन प्रदान किया। वित्त समिति की अपेक्षानुसार रू0 35,000/– के निर्धारण का सम्यक् औचित्य अनुपालन में प्रस्तुत किया जाय।
8/32	**वित्त (लेखा–परीक्षा) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2/2019/आडिट–2–1053 /दस–2019–355 (5)/2018 दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 के क्रम में विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव नीतिगत निर्णय से संबंधित है। अस्तु उपरोक्त प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की आगामी कार्य परिषद् में विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए।
9/32	**सम्परीक्षा अधिकारी का 01 पद एवं सम्परीक्षक के 04 पद पर प्रतिनियुक्ति पर वित्त विभाग से भरे जाने के सम्बन्ध में।**
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 के विश्वविद्यालय के पदों के सृजन किये जाने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या–2893/65–2–2008–57(विविध)/2008 दिनांक 30.12.2008 के द्वारा सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत क्रम सं0–04 पर सम्परीक्षा अधिकारी के 01 पद एवं क्रम सं0–25 पर सम्परीक्षक के 04 पद सृजित किये गये हैं, जिसे आन्तरिक लेखा एवं परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरने के लिए वित्त विभाग से अनुरोध किया जाना प्रस्तावित है। **निर्णयः–**वित्त समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 के विश्वविद्यालय के पदों के सृजन संबंधी उपरोक्त शासनादेश के द्वारा सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत क्रम सं0–04 पर सम्परीक्षा अधिकारी के सृजित 01 पद एवं क्रम सं0–25 पर सम्परीक्षक के सृजित 04 पदों को आन्तरिक लेखा एवं परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने के लिए वित्त विभाग से अनुरोध किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
10/32	**विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ वाहन के सम्बन्ध में।**
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ किराये पर नियमानुसार एक वाहन लिया जायेगा। जिस पर अनुमोदन हेतु वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

(Shrinivas Tripathi)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University

	निर्णयः— उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त वित्त समिति ने अधोलिखित सम्प्रेक्षाओं सहित अनुमोदन प्रदान किया गया— 1. वाहन कुलसचिव, विश्वविद्यालय के निवर्तन पर रखा जाए। 2. अधिमानी क्रम में वाहन का प्रयोग कुलानुशासक मण्डल के लिए किया जाएगा। 3. आवश्यकता पड़ने पर कुलानुशासक मण्डल से इतर भी विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ वाहन का प्रयोग किया जा सकता है। 4. वाहन को योजित करने का कार्य अद्यतन निर्गत शासनादेशों/जेम पोर्टल के माध्यम से मितव्ययिता के आधार पर किया जाए।
11/32	**विश्वविद्यालय में स्थापित सोलर पैनल के संचालन के सम्बन्ध में।**
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्थापित सोलर पैनल के संचालन के सम्बन्ध में मेसर्स फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, हैदाराबाद के प्रतिनिधि श्री मृगेश केजरीवाल से आर्बिटेशन वाद सं0–76/2021 के आदेश संख्या–8, दिनांक–25.06.2024 (C-449) में पारित निर्णय के अनुपालन में कुलसचिव कार्यालय कक्ष में दिनांक–09.10.2024 को कुलसचिव महोदय की अध्यक्षता में मेसर्स फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में स्थापित सोलर पैनल के संचालन के सम्बन्ध में बैठक के कार्यवृत्त विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः**— वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्शोपरान्त निम्नानुसार अपना मत स्थिर किया गया :— 1. विषयगत संयंत्रों की स्थापना, उनकी गुणवत्ता व क्रियाशीलता का परीक्षण विलम्बतम् 01 माह में उत्तर प्रदेश के दक्ष विशेषज्ञ विभाग से करा लिया जाए। 2. उल्लिखित विषयक निष्पादित करार के अर्न्तनिहित तथ्यों का परीक्षण एक माह के अन्दर एतद् विषयक The Arbitration And Conciliation Act, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराया जाए। उल्लिखित दोनों बिन्दुओं की प्रतिपूर्ति के उपरान्त विषयगत प्रकरण पुनः वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।
12/32	**विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के अनुरक्षण के सम्बन्ध में।**
	बिन्दु सं0–1 वित्त समिति को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में स्थापित अटल प्रेक्षागृह के अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य कार्यदायी संस्था–उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, निर्माण प्रखण्ड लखनऊ–द्वितीय, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत धनराशि रू0 216.43 लाख (दो करोड़ सोलह लाख तैंतालीस हजार रूपये मात्र) पर अनुमोदन प्राप्त है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, निर्माण प्रखण्ड लखनऊ–द्वितीय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आगणन धनराशि रू0 216.43 लाख (दो करोड़ सोलह लाख तैंतालीस हजार रूपये मात्र) में से प्रथम किस्त के रूप में 40 प्रतिशत की धनराशि रू0 86.57 लाख (छियासी लाख सत्तावन हजार रूपये मात्र) का भुगतान किया गया है। अटल प्रेक्षागृह की मरम्मत हेतु व्यय होने वाली कुल धनराशि रू0 216.43 लाख (दो करोड़ सोलह लाख तैंतालीस हजार रूपये मात्र) का व्यय होना है, जिस पर मा0 वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रार्थित है। **निर्णयः**— उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्शोपरान्त अटल प्रेक्षागृह की मरम्मत हेतु व्यय होने वाली कुल धनराशि रू0 216.43 लाख (दो करोड़ सोलह लाख तैंतालीस हजार रूपये मात्र) पर मा0 वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(Shriniwas Tripathi)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University

	बिन्दु सं0–2 वित्त समिति को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर एवं आवासीय परिसर में निर्मित पृथक–पृथक भवनों के निर्माण हुए लगभग 10 वर्षो से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लाक ए–1, एकेडमिक ब्लाक ए–2, पुरूष छात्रावास–बी–1, पुरूष छात्रावास मेस एरिया, महिला छात्रावास, विधि संकाय, आवासीय परिसर टाइप–5, 4, 3 एवं 1 भवनों की मरम्मत/अनुरक्षण से संबंधित कार्य कराया जाना है। इस हेतु विश्वविद्यालय में इच्छुक राजकीय कार्यदायी संस्था/संस्थाओं को दैनिक कार्यों हेतु नामित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर मा0 वित्त समिति द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रार्थित है। **निर्णयः–** विषयगत प्रस्ताव पर विचार–विमर्शोपरान्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लाक ए–1, एकेडमिक ब्लाक ए–2, पुरूष छात्रावास–बी–1, पुरूष छात्रावास मेस एरिया, महिला छात्रावास, विधि संकाय, आवासीय परिसर टाइप–5, 4, 3 एवं 1 भवनों की मरम्मत/अनुरक्षण से संबंधित कार्य कराया जाना है। इस हेतु विश्वविद्यालय में इच्छुक राजकीय कार्यदायी संस्था/संस्थाओं को दैनिक कार्यों हेतु नामित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। **बिन्दु सं0–3** वित्त समिति को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर एवं आवासीय परिसर में निर्मित सड़कों की मरम्मत/अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिस पर मा0 वित्त समिति से औपचारिक अनुमोदन प्रार्थित है। **निर्णयः–** विषयगत प्रस्ताव पर विमर्शोपरान्त विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर एवं आवासीय परिसर में निर्मित सड़कों की मरम्मत/अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य कराये जाने पर वित्त समिति द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
13/32	**भेषज विज्ञान विभाग में प्रयोगशाला की स्थापना के सम्बन्ध में।**
	वित्त समिति को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में संचालित भेषज विज्ञान संस्थान हेतु विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए इलेक्ट्रिक कार्य, गैस व वाटर सप्लाई एवं फर्नीचर विश्वविद्यालय के भवन एमेनिटीज ब्लाक–1 में स्थापित किया जाना है। इस हेतु तीन कार्यदायी संस्था को आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में कार्यदायी संस्था–परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–26, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम लखनऊ द्वारा धनराशि रू0 247.34 लाख (दो करोड़ सैंतालीस लाख चौंतीस हजार रूपये मात्र) का आगणन उपलब्ध कराया गया है जिस पर मा0 वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है। **निर्णयः–** उपर्युक्त प्रस्ताव पर विमर्शोपरान्त विश्वविद्यालय में संचालित भेषज विज्ञान संस्थान हेतु विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए इलेक्ट्रिक कार्य, गैस व वाटर सप्लाई एवं फर्नीचर विश्वविद्यालय के भवन एमेनिटीज ब्लाक–1 में स्थापित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था–परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–26, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम लखनऊ द्वारा धनराशि रू0 247.34 लाख (दो करोड़ सैंतालीस लाख चौंतीस हजार रूपये मात्र) के उपलब्ध कराये गये आगणन पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(Shriniwas Tripathi)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University

14/32	**विश्वविद्यालय के छात्रावासों हेतु फर्नीचर इत्यादि के क्रय के सम्बन्ध में।**
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के महिला एवं पुरूष छात्रावासों में निवासित दिव्यांग विद्यार्थियों को पूर्व वर्षो में उपलब्ध कराये गये अधिकांश फर्नीचर यथा–स्टडी टेबल, मेज, गदद् ट्यूब लाइट, मेस एरिया में डायनिंग टेबल, स्टील रैक, सेण्टर टेबल एवं पर्दे इत्यादि पूर्णतया निष्प्रयोज्य हो चुके हैं, जिससे दिव्यॉग विद्यार्थियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी के दृष्टिगत महिला एवं पुरूष छात्रावासों हेतु उपरोक्तानुसार नवीन फर्नीचर एवं आवश्यक सामग्रियों को क्रय किया जाना नितान्त आवश्यक है, जिस पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है। **निर्णयः–** वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त महिला एवं पुरूष छात्रावासों हेतु उपरोक्तानुसार नवीन फर्नीचर यथा स्टडी टेबल, गद्दे, ट्यूब लाइट, मेस एरिया में डायनिंग टेबल, स्टील रैक, सेंटर टेबल एवं पर्दे इत्यादि एवं आवश्यक सामग्रियों क्रय हेतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। उपर्युक्तानुसार नवीन फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का क्रय अद्यतन निर्गत शासनादेशों/जेम पोर्टल के माध्यम से मितव्ययिता के आधार पर किया जाए। साथ ही पूर्व वर्षों में उपलब्ध कराये गए फर्नीचर इत्यादि सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने की सुसंगत प्रकिया का अनुपालन करते हुए उक्त सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
15/32	**विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में स्मार्ट क्लासरूम, भवनों में वाई–फाई, सी.सी.टी.वी. कैमरों एवं अन्य सहवर्ती उपकरणो की स्थापना के सम्बन्ध में।**
	बिन्दु सं0–1 वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के समस्त संकाय/विभाग/संस्थान/केन्द्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 25 स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किया जाना है। इस हेतु अनुमानित धनराशि रू0 175.00 लाख का व्यय होने की संभावना है, जिस पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है। **निर्णयः–** वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के समस्त संकाय/विभाग/संस्थान/केन्द्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 25 स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए जाने पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। उपर्युक्तानुसार स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए जाने हेतु विभिन्न सामग्रियों का क्रय अद्यतन निर्गत शासनादेशों/जेम पोर्टल के माध्यम से मितव्ययिता के आधार पर किया जाए। **बिन्दु सं0–2** वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों एवं शिक्षकवृन्द को पठन–पाठन् हेतु सम्पूर्ण परिसर को वाई–फाई की सुविधा से युक्त किये जाने तथा विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की होने वाली परीक्षाएं सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी में आयोजित कराये जाने हेतु समस्त कक्षों को सी.सी.टी.वी. कैमरों एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों तथा विश्वविद्यालय के चिन्हित स्थानों पर सुरक्षा के दृष्टिगत सी0सी0टी0वी0 कैमरों एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के साथ साथ वाई–फाई एवं सहायक उपकरणों की स्थापना का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। **निर्णयः–** वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण परिसर को वाई–फाई की सुविधायुक्त किए जाने तथा विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की होने वाली परीक्षाएं सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी में आयोजित कराये जाने हेतु समस्त कक्षों को सी.सी.टी.वी. कैमरों एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों

(Srinivas Tripathi)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University

	तथा विश्वविद्यालय के चिन्हित स्थानों पर सुरक्षा के दृष्टिगत सी0सी0टी0वी0 कैमरों एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के साथ साथ वाई–फाई एवं सहायक उपकरणों की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। उपर्युक्तानुसार सम्पूर्ण परिसर को वाई–फाई युक्त किए जाने एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं अन्य सहवर्ती उपकरण इत्यादि सामग्रियों का क्रय अद्यतन निर्गत शासनादेशों/जेम पोर्टल के माध्यम से मितव्ययिता के आधार पर किया जाए।
16/32	**विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं अनुभागों में कम्प्यूटर, यू0पी0एस0 फोटोकॉपी मशीन एवं प्रिन्टर के क्रय के सम्बन्ध में।**
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं अनुभागों में 65 कम्प्यूटर, 65 यू0पी0एस0, 25 फोटो कॉपी मशीन एवं 50 प्रिन्टर को आवश्यकतानुसार क्रय किया जाना है, जिस पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है। **निर्णयः**– उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त वित्त समिति ने अधोलिखित सम्प्रेक्षाओं सहित अनुमोदन प्रदान किया गया– 1. पूर्व से स्थापित निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं फोटो कॉपी मशीन को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने की सुसंगत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उक्त उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 2. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं अनुभागों में 65 कम्प्यूटर, 65 यू0पी0एस0, 25 फोटो कॉपी मशीन एवं 50 प्रिन्टर क्रय किए जाने पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त उपकरणों का क्रय–कार्य अद्यतन निर्गत शासनादेशों/जेम पोर्टल के माध्यम से मितव्ययिता के आधार पर किया जाए।
17/32	**विश्वविद्यालय के भवनों में स्थापित समस्त ए0सी0 की सर्विसिंग एवं मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।**
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित भवन–प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लॉक ए–1 एवं ए–2, एमेनिटिज ब्लॉक–2, कुलपति आवास, कॉलेज फॉर डेफ, केन्द्रीय पुस्तकालय, विधि संकाय, चीफ प्रोवोस्ट–छात्रावास कक्ष एवं सचालित समस्त अतिथि गृह में स्थापित स्प्लिट ए0सी0, कैसट ए0सी0 एवं डक्ट टेबल ए0सी0 की सर्विसिंग एवं मरम्मत सम्बन्धित कार्य कराया जाना है। इस हेतु अनुमानित धनराशि रू0 100.00 लाख का व्ययभार आने की संभावना है, जिस पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है। **निर्णयः**–वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के भवनों में स्थापित स्प्लिट (SPLIT) ए0सी0, कैसट ए0सी0 एवं डक्ट टेबल ए0सी0 की सर्विसिंग एवं मरम्मत सम्बन्धित कार्य कराये जाने हेतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। उपर्युक्तानुसार ए0सी0 सर्विसिंग कार्य अद्यतन निर्गत शासनादेशों/जेम पोर्टल के माध्यम से मितव्ययिता के आधार पर किया जाए।
18/32	**विश्वविद्यालय की चहार दीवारी की रंगाई पुताई के भुगतान के सम्बन्ध में।**

(Shrinivas Tripathi)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में निर्मित बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एवं पेन्टिग आदि का कार्य कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था–परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–26, कन्स्ट्रक्सन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम लखनऊ को स्वीकृत आगणन धनराशि रू0 50.51 लाख के क्रम में निर्गत कार्य–आदेश सं0–2146/फाइल सं0–610/2022–23, दिनांक 29.10.2022 द्वारा किया गया है, जिसके क्रम में संबंधित कार्यदायी संस्था को प्रथम किस्त 40 प्रतिशत एवं द्वितीय किस्त 40 प्रतिशत अर्थात कुल 80 प्रतिशत धनराशि रू0 40.73 लाख का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर से किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में संबंधित कार्यदायी संस्था को अवशेष धनराशि रू0 9.77 लाख का भुगतान मा0 वित्त समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः– वित्त समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में निर्मित बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एवं पेन्टिग आदि का कार्य कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था–परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–26, कन्स्ट्रक्सन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम लखनऊ को स्वीकृत आगणन धनराशि रू0 50.51 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 09.77 लाख के भुगतान पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

19/32 **विश्वविद्यालय में स्थापित ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में विद्युत व्यवस्था हेतु कुल 09 ट्रांसफार्मर (प्रशासनिक, आवासीय, अटल प्रेक्षागृह, पुरूष, महिला छात्रावास, विशिष्ट स्टेडियम, एवं कृत्रिम अंग एवं पुर्नवास) स्थापित हैं, जो विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही संचालित है उक्त सभी ट्रांसफार्मरों का वर्तमान में सर्विस/मरम्मत (आयलिंग, सिलिका जेल, बुशिंग, आंतरिक वाइडिंग, लीड, पैनल इत्यादि) का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। संज्ञानित कराना है कि प्रति ट्रांसफार्मर के ओवरहालिंग सर्विस/मरम्मत में लगभग तीन लाख रूपये का व्यय किया जाना संभावित है जिसके अनुसार कुल 09 ट्रांसफार्मर के सर्विस/मरम्मत पर अनुमानित लागत रूपये 27,00,000.00 का व्यय होना संभावित है, जिस पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्शोपरान्त विश्वविद्यालय में विद्युत व्यवस्था हेतु स्थापित कुल 09 ट्रांसफार्मर की ओवरहालिंग सर्विस/मरम्मत कराए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उपर्युक्तानुसार 09 ट्रांसफार्मर की ओवरहालिंग सर्विस/मरम्मत कार्य अद्यतन निर्गत शासनादेशों/जेम पोर्टल के माध्यम से मितव्ययिता के आधार पर किया जाए।

20/32 **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के लैब की स्थापना के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अर्न्तगत तकनीकी स्तर पर स्नातक एवं परास्नातक स्तर के सात विभाग संचालित है, जिसके अर्न्तगत लगभग 1000 छात्र/छात्राए अध्ययनरत् है, परन्तु संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं का प्रायोगिक कक्षाओं को सुनिश्चित करने हेतु संस्थान में विद्यार्थियों की संख्याओं के अनुरूप लैब कक्षाओं, लैब उपकरणों एवं सामग्रियों की अत्यन्त अभाव है। संस्थान मे तकनीकी ज्ञान हेतु आवश्यक लैब सम्बन्धी उपकरणों की सम्यक उपलब्धता न होने के कारण छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक कक्षाएँ बाधित हो रही हैं। इसी के दृष्टिगत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में विद्यार्थियों हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लैबों की स्थापना किये जाने हेतु अनुमानित धनराशि रू0 436.04 लाख का व्ययभार आने की संभावना है, जिस पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है।

(Shrinivas Tripathi)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National

निर्णयः—वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में विद्यार्थियों हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लैबों की स्थापना किये जाने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। उपर्युक्तानुसार लैब की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण एवं अन्य, फर्नीचर इत्यादि कार्य अद्यतन निर्गत शासनादेशों/जेम पोर्टल के माध्यम से मितव्ययिता के आधार पर किया जाए।

21/32 **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अन्तर्गत संचालित संस्थान के प्रयोगशालाओ में कार्यरत् समस्त प्रयोगशाला सहायकों/अनुदेशकों/डिमांस्ट्रेटर के मानदेय के सम्बन्ध में।**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थानके अन्तर्गत तकनीकी स्तर पर स्नातक एवं परास्नातक स्तर के विभिन्न विभाग संचालित किये जा रहे हैं, जिनके प्रयोगशालाओं के सम्यक् संचालन हेतु वर्तमान में 04 सहायक/अनुदेशक कार्यरत् है।

संज्ञानित कराना है कि मा0 वित्त समिति की बैठक में एजेण्डा बिन्दु 2/30—वित्त समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक—19 दिसम्बर, 2023 को सम्पन्न वित्त समिति की 30वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या—2/30 के बिन्दु संख्या—5/29(3) पर प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में भेषज संस्थान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय में गैर—शैक्षिक पदों हेतु लैब में कार्यरत् लैब असिस्टेण्ट (प्रयोगशाला सहायक) के लिए मानदेय में वृद्धि—प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। उसमें संशोधन करते हुए प्रयोगशाला सहायक के स्थान पर प्रयोगशाला सहायक/अनुदेशक/डिमांस्ट्रेटर के मानदेय में वृद्धि किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त के सम्बन्ध में मा0 वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए भेषज संस्थान तथा विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी संकाय में गैर—शैक्षिक पदों पर लैब में कार्यरत् प्रयोगशाला सहायक/अनुदेशक/डिमांस्ट्रेटर को मानदेय धनराशि रू0 25000 दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उक्त के क्रम में मा0 कार्य परिषद् की 23वीं बैठक दिनांक 29 मई, 2023 के बिन्दु सं0—15/43 में विभिन्न कार्यरत् प्रयोगशाला सहायक के मानदेय भुगतान बढोत्तरी से सम्बन्धित रू0 25000/— किये जाने पर निर्णय लिया गया है।

इसी के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी संकाय तथा भेषज विज्ञान संस्थान की भाँति ही अभियांत्रिकी एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान के अर्न्तगत गैर—शैक्षिक पदों पर लैब में कार्यरत् प्रयोगशाला सहायक/अनुदेशक/डिमांस्ट्रेटर को धनराशि रू0 25000 के मानदेय का भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः—वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार—विमर्शोपरान्त अभियांत्रिकी एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान के अर्न्तगत गैर—शैक्षिक पदों पर लैब में कार्यरत् प्रयोगशाला सहायक/अनुदेशक/डिमांस्ट्रेटर को धनराशि रू0 25000 के मानदेय का भुगतान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया जिसे 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी किया जाए।

22/32 **विश्वविद्यालय में पुरूष छात्रावास स्थित मेस की मरम्मत के भुगतान के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय के पुरूष छात्रावास के मेस ब्लॉक में मरम्मत संबंधित कार्य हेतु कार्यदायी संस्था—परियोजना प्रबन्धक, यूनिट—26, कन्स्ट्रक्सन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम लखनऊ को स्वीकृत आगणन धनराशि रू0 78.54 लाख के क्रम निर्गत कार्य—आदेश सं0—634/फाइल सं0—857/2019—20, दिनांक 03.07.2019 द्वारा किया गया है, जिसके क्रम में संबंधित कार्यदायी संस्था को 50 प्रतिशत धनराशि रू0 39.27 लाख का भुगतान किया जा चुका है एवं 50 प्रतिशत अर्थात धनराशि रू0 39.27 लाख का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर से किया जाना है।

उक्त के क्रम में संबंधित कार्यदायी संस्था को अवशेष धनराशि रू0 39.27 लाख का भुगतान मा0 वित्त समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में किया जाना प्रस्तावित है।

(Shrinivas Tripathi)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University

	निर्णयः—वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार—विमर्शोपरान्त पुरूष छात्रावास के मेस ब्लॉक में मरम्मत संबंधित कार्य हेतु कार्यदायी संस्था—परियोजना प्रबन्धक, यूनिट—26, कन्स्ट्रक्सन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम लखनऊ को स्वीकृत आगणन धनराशि रू0 78.54 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 39.27 लाख के भुगतान हेतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
23 / 32	**विश्वविद्यालय परिसर में 200 छात्राओं हेतु एक महिला छात्रावास के निर्माण के सम्बन्ध में।**
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में 500 छात्राओं हेतु एक अतिरिक्त महिला छात्रावास के निर्माण हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा शासनादेश सं0— I / 307835 / 2023 / फा0सं0—65—2099 / 52 / 2023 द्वारा कार्यदायी संस्था—उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ को नामित किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में 500 छात्राओं हेतु एक अतिरिक्त महिला छात्रावास का निर्माण के स्थान पर प्रथम चरण में 200 छात्राओं के लिए महिला छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि रू0 2499.44 लाख (चौबीस करोड़ निन्यानबे लाख चौवालीस हजार रूपये मात्र) का आगणन उपलब्ध कराया गया है, जिस पर मा0 वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रार्थित है। **निर्णयः**— वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार—विमर्शोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में 500 छात्राओं हेतु एक अतिरिक्त महिला छात्रावास का निर्माण के स्थान पर प्रथम चरण में 200 छात्राओं के लिए महिला छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
24 / 32	**विश्वविद्यालय में एक अतिरिक्त एकेडमिक भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।**
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में एक अतिरिक्त एकेडमिक भवन के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय की मा0 वित्त समिति की 21वीं बैठक दिनांक 02 जून, 2021 एवं विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था— परियोजना प्रबन्धक, यूनिट—26, कन्स्ट्रक्सन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम लखनऊ द्वारा दो तल (G+3) धनराशि रू0 49998.62 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया था, जो संबंधित फर्म द्वारा पुनरीक्षित करते हुए भू—तल का धनराशि रू0 2496.60 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया है, जिस पर मा0 वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रार्थित है। कृपया मा0 वित्त समिति विश्वविद्यालय परिसर में एक अतिरिक्त एकेडमिक भवन के भू—तल निर्माण सम्बन्धी कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 2496.60 लाख पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें। **निर्णयः**—वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार—विमर्शोपरान्त मा0 वित्त समिति विश्वविद्यालय परिसर में एक अतिरिक्त एकेडमिक भवन के भू—तल निर्माण सम्बन्धी कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 2496.60 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वित्त समिति की बैठक समाप्त हुई।

11/2/25

(श्रीनिवास त्रिपाठी)
वित्त अधिकारी

(Shrinivas Tripathi)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University